(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 21 /2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा(2) के साथ पठित उप-धारा (1) के उपवाक्य (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सख्या का.आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/94(गै.टे.)-सीमा शुल्क, दिनांक 21 नवम्बर, 1994 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने, "हैदराबाद" शब्द के लिए, कॉलम (3) में "विजयवाड़ा" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) क्रम संख्या 15 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समावेशित किया जाएगा, यथा :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हवाई अड्डा	उद्देश्य
1	2	3	4
"15क.	तेलंगाना	शमशाबाद हैदराबाद	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या इसी श्रेणी के माल की लदाई।

[फा. सं. 520/07/2017-सीमाशुल्क (VI)]

(बी. कोन्थौजम)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 61/94(गै.टे.)-सीमा शुल्क, दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. 828(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गई और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. संख्या 630(अ), दिनांक 23 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 56/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 23 जून, 2017 के द्वारा संसोधन किया गया ।